

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या 907
कार्यवाही M.L. 62
दिनांक 21/4/2017

संख्या

/ ए.पी. / 1090

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन कृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा० अध्याक्ष (प्र०) के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है।

क्र०सं० परियोजना	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
आई०डी०नं०			
1-	044375 वृन्दावन योजना सं०-4, लखनऊ के सेक्टर-13 में 480 नम अल्प आय वर्ग (जी०-3) भवनों का निर्माण कार्य।	5844.20	26/04(17-18)

- उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का मा० अध्याक्ष (प्र०) द्वारा इस प्रतिक्रिया के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि प्रश्नगत कार्य हेतु आगामी बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। तदनुसार उक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति आगामी बोर्ड बैठक में अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित निशिधियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आईडीनम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- प्रश्नगत कार्य हेतु वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति सक्षम स्तर से जलन से प्राप्त करनी होगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/गद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/गद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिधियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि०अभि०/अधी०अभि० का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की हिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आवकित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त परियोजना का कार्य 24 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमत्त नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त परियोजना के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(एस०के०रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

दिनांक:

20.4.2017

पु०सं०:

1062/उक्त/1090

निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वारतुविद-नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/वृन्दावन कृत्त उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (प्र०)/निर्माण खण्ड-03, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टफ ऑफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)